अनुमंडल कार्यालय, डुमरॉव।

(कल्याण शाखा)

संशोधित

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार पटना के पत्रांक–138 दिनांक 02.02.2021 एवं जिला परियोजना पदाधिकारी–सह–जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 15–2208/क0 दिनांक 27.11.2025 के आलोक में पंचम चरण के अनुरूप विकास मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु प्रखण्ड स्तर पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है।

1. रिक्ति की विवरणी निम्नवत है:–

क्र0	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	जाति बहुलता	आरक्षित कोटि	रिक्त पदों की सं0	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	ब्रह्मपुर	बराढ़ी	मुसहर	सामान्य	1	

2. चयन हेतु अर्हता :–

A. आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होंगें।
B. पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी का आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा।
C. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी ।
D. **विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है :–**

(a) नन–मैट्रिक, (b) नौंवी पास, (c) आठवीं पास, (d) सातवीं पास, (e) छठ्ठा पास, (f) पाँचवीं पास। सर्वप्रथम नन–मैट्रिक, उसके पश्चात् नवमी पास उसी प्रकार से नीचे के क्रम से चयन किया जायेगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयनित किया जायेगा । बशर्ते वे अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा उन्हें सामाजिक कार्यों में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जायेगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, वैसी स्थिति में जिस आवेदक की उम्र सबसे कम हो (जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा । अगर दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो तो वैसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदक का चयन करेंगें । विकास मित्र का चयन मार्गदर्शिका (पंचम चरण) के आधार पर किया जायेगा ।

E. चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जायेगा ।
F. मैट्रिक या समकक्ष में सार्वधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
G. मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी का प्राथमिकता दी जायेगी ।

3. आयु सीमा :–

आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए आरक्षित महिला पदों के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी ।

4. जाति बहुलता :–

पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की बहुलता का निर्धारित किया जा चुका है । जाति बहुलता का निर्धारण उस जाति से की गई

है, जिस जाति की जनसंख्या पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) में सबसे अधिक है । किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति वाले पंचायत से हीं किया जायेगा ।

5. नियोजन की अवधि :–

विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष के लिए किये जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जायेगा आवश्यकतानुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है ।

6. विकास मित्र नियोजन की प्रक्रिया निम्नरूपेण तिथिवार संचालित होनी है :–

क्रमांक	गतिविधि	अवधि
1	2	3
1	रिक्ति का प्रकाशन	20.02.2026
2	ब्रह्मपुर प्रखंड में आवेदन प्राप्त करना	22.02.2026 से 05.03.2026 तक
3	मेघा सूची तैयार करना एवं प्रकाशन करना	09.03.2026
4	चयन सूची तैयार कराना एवं अनुमोदित करना	12.03.2026
5	चयन सूची का अन्तिम प्रकाशन, आपत्ति प्राप्त करना, आपत्ति का निराकरण कर नियोजन का सूची प्रकाशन	16.03.2026 से 20.03.2026
6	नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण	24.03.2026

नोट :– (i) आवेदन–पत्र महादलित मिशन के वेवसाईट **www.mahadalitmission.org** पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अनुमंडल कार्यालय, डुमरॉव एवं प्रखण्ड कार्यालय, ब्रह्मपुर में भी उपलब्ध है।

(ii) आवेदन–पत्र प्रखण्ड कार्यालय, ब्रह्मपुर में दिनांक 22.02.2026 से दिनांक 05.03.2026 तक (कार्यदिवस) के अपराहन 05:00 बजे तक जमा कर सकते है ।

अनुमंडल पदाधिकारी,
डुमरॉव।